

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

जोईरुवा पुत्री हरिराम श्री सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 197 / 2024

--आदेश--

दिनांक :- 8/10/2024

प्रार्थी जोईरुवा पुत्री श्री हरिराम

जाति भांकी निवासी शेखावत तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम शेखावत की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता सं. 487 में दर्ज अशुद्ध नाम जोईरुवा पुत्री हरिराम जाति भांकी निवासी शेखावत का शुद्ध नाम जोईरुवा पुत्री हरिराम जाति शेखावत निवासी शेखावत की राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का दस्तावेज के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

no ch
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा